

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर



पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 98/2023

- 1 मोहम्मद रफीक पुत्र श्री इस्माईल खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 27 मोहल्ला बटवालान झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
- 2 सलीम पुत्र बदरुदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 21 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

- 1 गुलाम नबी आयु 63 वर्ष पुत्र सरवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 2 शरीफ अली आयु 61 साल पुत्र सरवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 3 अयुब अली आयु 59 साल पुत्र सरवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 4 सजाद अली आयु 57 साल पुत्र सरवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 5 सतार उम्र 55 साल पुत्र सरवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 6 हारून रसीद उम्र 52 साल पुत्र सरवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी. नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 7 रसीद उम्र 50 साल पुत्र सरवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



- 8 सफीक उम्र 48 साल पुत्र सरवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 9 नवाब अली उम्र 63 साल पुत्र नासीर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 10 इनायत अली उम्र 65 साल पुत्र नासीर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 11 इन्तजार अली उम्र 35 साल पुत्र भंवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 12 एमना उम्र 70 साल पत्नी भंवर अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 13 वाजिद उम्र 25 साल पुत्र रफीक अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 14 जावेद आयु 22 साल पुत्र रफीक अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 15 जायदा बानो उम्र 45 साल पत्नी रफीक अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 16 आसिफ उम्र 28 साल पुत्र युसुफ अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 17 साजिद उम्र 24 साल पुत्र युसुफ अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 18 माफिया बानो उम्र 55 साल पत्नी युसुफ अली जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 19 इकबाल अली उम्र 45 साल पुत्र इब्राहिम जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 20 मुमताज अली उम्र 65 साल पुत्री हकीमुदीन जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 21 शमशेर अली उम्र 63 साल पुत्र हकीमुदीन जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



- 22 गुलफान उम्र 61 साल पुत्र हकीमुदीन जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 23 अयुब उम्र 59 साल पुत्र हकीमुदीन जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 24 मुबारिक उम्र 57 साल पुत्र हकीमुदीन जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 25 अब्दुल रहमान पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 26 खादिम पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 27 छोटू पुत्र मकबुल जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 28 बरकत पुत्र मकबुल जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 29 नदुस्याह उर्फ लाल उम्र 75 साल पुत्र जमालस्याह जाति फकीर मुसलमान निवासी नुआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।
- 30 लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955  
विरुद्ध आदेश दिनांक 25.08.2022 न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी मण्डावा प्रार्थना पत्र अस्थाई  
निषेधाज्ञा, बमुकदमा उनवानी गुलाम नबी बनाम  
नवाब अली वगै. मु.नं. 203/2022

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



उपस्थिति :

1. श्री तैयब हुसैन, अधिवक्ता अपीलांत

—निर्णय—

दिनांक:— 12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा मुकदमा नम्बर 203/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट ने ग्राम चंद्रपुरा की भूमि खसरा नम्बर 368, 369, 367/375 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। इससे व्यथित होकर अपीलांत द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2023 को धारा 5 पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए विचाराधीन निर्णय की पालना स्थगित रखी गई। इस आदेश के विरुद्ध रेस्पोंडेंट द्वारा माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा स्थगन से पूर्व धारा 5 निस्तारित करने के निर्देश के साथ निगरानी निर्णित की गई। इस पर धारा 5 पर अपीलांत को सुना गया।

बहस अपीलांत सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में एकपक्षीय स्थगन जारी किया गया है। अपीलांत को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अतः धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावे।


पंचजन्य अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प इन्डियन)



हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर गुणावगुण पर विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (बलदेवारां धोजक)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
 सीकर